I.T. Manager

प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2015 को आयोजित विभागीय वरीय पदाधिकारियों के साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

कार्यवाहीः–

1. कृषि महाविद्यालय के निर्माण के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय में 12.62 करोड़ रू0 के विरूद्ध 6.81 करोड़ रू0 राशि की निकासी हो गई है। शेष राशि उपस्कर के लिये निकासी किया जाना है। निदेश दिया गया कि जो करना है शीघ्र कर लिया जाये। लेखापाल द्वारा बताया गया है कि विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न विपत्रों की निकासी हेतु दिनांक 30.01.2015 को ही विपत्र कोषागार में उपस्थापित किया गया है परन्तु अबतक कोषागार द्वारा पारित नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिवालय संभाग एवं लेखापाल कोषागार पदाधिकारी से समर्पक कर संबंधित विपत्रों की निकासी सुनिश्चित करायें।

   वीरकुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरॉव एवं पूर्णियाँ के संबंध में बताया गया कि दोनो जगहों का प्राक्लन संशोधित कर तैयार किया जाना है। इस लिये क्रमशः 5.85 करोड़ रू0 एवं 15.27 करोड रू0 की राशि कुल 21.12 करोड़ रू0 की राशि इस वित्तीय वर्ष में व्यय होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है इसलिये इस राशि को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। कृषि शिक्षा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विश्वविद्यालय मद की योजनाओं में तत्काल व्यय नहीं होने वाले राशि का आकलन कर प्रत्यार्पित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

   राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को अनुसंधान के लिये 94 लाख रू0 की राशि दिया गया है, स्वीकृत्यादेश कल निर्गत हुआ है।

2. **बीज** :– पृच्छा के क्रम में बताया गया कि मुख्यमंत्री तीव्रबीज विस्तार एवं एकीकृत बीजग्राम योजना मद में आवंटन जारी होने की प्रक्रिया में है। इस योजना से संबंधित विपत्र BRBN द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विपत्र समर्पित कर दिया गया है।

2.1 एकीकृत बीजग्राम योजना से संबंधित विपत्र 1.58725 लाख रू0 कोषागार में भेजा गया है। निदेश दिया गया कि शीघ्र राशि की निकासी की जाये।

2.2 बिहार राज्य बीज निगम को गोदाम निर्माण मद से संबंधित विपत्र 14.66 करोड़ रू0 का विपत्र निकासी कोषागार में समर्पित किया गया है। कोषागार पदाधिकारी द्वारा निकासी की सहमति की हेतु वित्त विभाग को भेजा गया है सहमति अबतक अप्राप्त है।

2.3 बीज अनुदान का बकाया भुगतान 35 करोड़ का है परन्तु राशि 24.79 करोड़ की स्वीकृति हुई है। जिसमें से कोषागार से 20.02 करोड़ की राशि निकासी हो गई है शेष 4.547433 करोड़ रू0 का विपत्र (कुल–6 विपत्र) कोषागार में प्रस्तुत किया गया है बैठक में बताया गया कि कोषागार द्वारा उक्त निकासी के लिए सहमति हेतु वित्त विभाग को भेजा गया है। अन्तर राशि के संबंध में उप कृषि निदेशक (बीज) एवं RKVY कोषांग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। निदेश दिया गया कि पूर्व के बकाया के संबंध में

जहाँ सं प्रपत्र 'ख' प्राप्त नहीं हुआ है सम्बन्धित जिला कृषि पदाधिकारी से वार्त्ता करें, एक सप्ताह के अन्दर स्थिति स्पष्ट कर लें। अंतिम स्मार के रूप में फैक्स द्वारा आज ही जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र दिया जाये, जिसमें प्रतिवेदन के साथ लम्बित रखने का कारण भी बतायेंगे। इस कार्य में कौन दोषी है, यह भी उल्लेख किया जायेगा। अगर तीन दिनों के अन्दर सत्यापन प्रतिवेदन जिला से प्राप्त हो जाना चाहिये। यदि किसी स्तर से शिथिलता प्रकट होती हो तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जाय।

2.4 वित्तीय वर्ष 2014–15 में बीज अनुदान में 56.92 करोड़ रू0 स्वीकृत है। जिसके विरूद्ध 46.4604758 करोड़ रू0 आवंटित है। परन्तु जिसकी निकासी नगण्य है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 खरीफ (अधिक उपजशील एवं संकर धान) एवं रबी बीज अनुदान भुगतान में कोई प्रगति नहीं पाया गया। निर्देश दिया गया कि उप निदेशक (शष्य) बीज, बीज दावा सत्यापन प्रतिवेदनों को संकलित कर भुगतान की कार्रवाई तथा लम्बित सत्यापन प्रतिवेदन जिलों से अविलम्ब मंगाकर भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।

2.5 केन्द्रीय बीजग्राम योजना (रबी) का स्वीकृत्यादेश निर्गत की प्रक्रिया में है। खरीफ केन्द्रीय बीजग्राम योजना अन्तर्गत निकासी हेतु 2.85 करोड़ रू0 का विपत्र BRBN द्वारा उप कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययंन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया। निदेश दिया गया कि कोषागार से अविलम्ब राशि की निकासी करना सुनिश्चित किया जाय।

3. **भूमि संरक्षण** :– निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा बताया गया कि 21 करोड़ के विरूद्ध 13 करोड़ राशि की निकासी हो गई है। स्वीकृत्यादेश हो गया है। आवंटन होने के पश्चात् निकासी हो जायेगा।

4. **भवन निर्माण सहित ई–किसान भवन सहित की स्थापना** :– उप कृषि निदेशक, गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला को निदेश दिया गया कि वे इसके सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे, जिसमें आवंटन निकासी व्यय से सम्बन्धित प्रतिवेदन रहेगा तथा व्यय नहीं होने का कारण भी स्पष्ट करेंगे। ई0 किसान भवन के निमार्ण हेतु योजना एवं विकास विभाग को उनके मांग शीर्ष में 61 करोड़ रूपये का उपलब्ध है। जिसके विरूद्ध अबतक योजना विकास विभाग द्वारा 18 करोड़ रूपया का व्यय सी0टी0आई0एम0एस0 के द्वारा किया गया है। भवन निर्माण के मांग शीर्ष 8 करोड़ रू0 उपबंधित है। जिसके विरूद्ध सी0टी0आई0एम0एस0 के अनुसार 1.6248 करोड़ रू0 व्यय है।

बैठक में बताया गया कि संयुक्त कृषि भवन, मीठापुर फार्म का वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यबन्द है।

5. **टाल एवं दियारा** :– पृच्छा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, दियारा विकास योजना द्वारा बताया गया कि अभी तक 14.66 करोड रू0 का 50% आवंटन जिलों को आवंटित किया गया है। परन्तु सी0टी0आई0एम0एस0 से राशि की निकासी बहुत कम है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा माह जनवरी तक 5.31 करोड़ रू0 राशि व्यय का प्रतिवेदन दिया गया है। कार्य 80–90% हो गया है। 5–6 जिलों से राशि की मांग की गई है। निदेश दिया गया कि समीक्षा करलें कि कितनी राशि जिलों को आवश्यता है।

6. **अन्न भंडारण योजना अंतर्गत धातु कोठिला का वितरण** :– समीक्षा में पाया गया कि 5.76 करोड़ रू0 स्वीकृत राशि में 1.21 करोड़ रू0 का उपलब्धि हुआ है। निदेश दिया गया कि वे जिलों से वार्त्ता करें कि किन कारण से राशि व्यय नहीं हो रहा है। स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये।

7. **जैविक खेती** :– जैविक खेती मद में उपलब्ध कराये गये 200 करोड़ आवंटन के विरूद्ध 144 करोड़ रू0 की खर्च होने की संभावना व्यक्त किया गया। गरमा मौसम में अनुदानित दर पर वर्मी कम्पोस्ट का वितरण कर राशि का व्यय किया जा सकता है, अनुदेश बन गया है। अभी तक 35.3416 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। निदेश दिया गया कि इस सप्ताह उपलब्धि में तेजी लाई जाय।

हरी चादर योजनान्तर्गत 91 करोड़ रू0 का योजना स्वीकृत है। विपणन प्रमुख बिहार राज्य बीज निगम, पटना द्वारा बताया गया कि ढैंचा एवं मूंग की बीज का विपत्र माह अप्रैल में प्राप्त होगा। इसलिये इस राशि कि अगर निकासी इस वर्ष अग्रिम न कर अगले वित्तीय वर्ष में भी किया जा सकता है, निदेश दिया गया कि यह देख लेगे कि कही इसके कारण योजना विफल न हो जाये।

8. **डीजल अनुदान** :– पृच्छा के क्रम में बताया गया कि 129.71 करोड़ आवंटन के विरूद्ध 87.82 करोड़ की निकासी एवं वितरण 75.32 करोड़ हुआ है तथा प्रत्यार्पण 6. 56 करोड़ हुआ है। साथ ही तीन जिलों को 6.52 करोड़ आवंटन हेतु संचिका उपस्थापित है। निदेश दिया गया कि जिन जिलों में राशि निकासी कर वितरित नहीं किया गया है, उनसे वार्ता कर लिया जाय एवं जितनी राशि की निकासी नहीं हुई है, उतना प्रत्यार्पण का प्रस्ताव उपलब्ध करा दे।

9. **प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण** :– उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण द्वारा बताया गया कि राशि की निकासी मुजफ्फरपुर जिला का प्राधिकार पत्र नहीं रहने के कारण नहीं हो रहा है। इस योजना अंतर्गत 3 करोड़ रू0 का प्रत्यार्पण पूर्व की बैठक में ही किया गया है तथा शेष राशि की निकासी हो जायेगी।

10. NMSA :– National Mission on Substanable Agriculture **इस योजना अन्तर्गत दो सब मिशन है। इस मिशन अंतर्गत 70 करोड़ रू0 की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कि गयी है।**

11.1 Sub Mission on Farms Water Management के अन्तर्गत बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा 49.70 करोड़ स्वीकृत किया गया जिसमें 35 करोड़ राशि प्राप्त हुआ है। जिसकी निकासी कर ली गयी है। शेष 14.70 करोड़ की राशि की मांग केन्द्र से की गई है। अभी राशि प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होते ही व्यय हो जायेगा।

11. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :– पृच्छा के आलोक में बताया गया कि इस योजना में कुल 428.8073 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। निदेश दिया गया कि जिन जिलों में व्यय कम हुई है, उनसे वार्ता करे कि क्या कारण है। कल दिनांक 11.02.2015 को 4. 00 बजे अपराह्न में इसकी वृहत समीक्षा की जायेगी। सभी संबंधित पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे।

12. **आई0डब्लू0एम0पी0 :– इस योजना** में भारत सरकार से राशि प्राप्ति हुई है। स्वीकृति की प्रक्रिया में है।